

15-1-24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्त
की गगन भोड़ी उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त
ने प्रकरण में दिशायत पेश्वी नहीं होने
(No instruction) लीड किया। प्रकरण
में अपीलान्त के नाम रुक-रुक कर आवार्ज
लगाई गई, किन्तु वह अनुपस्थित है। अतः यह
अपील अभिभाषक अपीलान्त द्वारा दिशायत पेश्वी
नहीं होने (No instruction) लीड करने
तथा अपीलान्त के अनुपस्थित रहने के कारण
अपील इसी स्तर पर स्वारिज की जाती है।
पत्रावली ~~का~~ नम्बर से कम है। पत्रावली
का इतरतीव ~~का~~ तकनीक दायित्व दफतर
है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

अतिरिक्त सहायीय आयुक्त
बीकानेर

No
Instruction
Prof. Anand